



संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 02/2013-सीडीएस-I

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 10-12-2012)

दिनांक 10-11-2012

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2013

[एसएससी महिला (गैर तकनीकी) कोर्स सहित]
(आयोग की वेबसाइट-www.upsc.gov.in)

फा. सं. 8/2/2012-प.1(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित कोर्सों में प्रवेश हेतु 17 फरवरी, 2013 को एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

कार्स का नाम तथा रिक्तियों की संभावित संख्या

- (1) भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून, 250 जनवरी 2014 में प्रारंभ होने वाला 136वां कोर्स (एनसीसी 'सी' (सेना स्कंध) प्रमाण पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 32 रिक्तियां सम्मिलित हैं)।
(2) भारतीय नौसेना अकादमी, इज़ीमाला, 40 जनवरी 2014 में प्रारंभ होने वाला कार्यपालक कोर्स (हाइड्रो/सामान्य सेवा) (एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र धारकों (नौसेना स्कंध) के लिए 6 आरक्षित रिक्तियां शामिल हैं)।
(3) वायु सेना अकादमी, हैदराबाद 32 जनवरी, 2014 में प्रारंभ होने वाले उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स अर्थात् नं. 195वां एफ (पी) कोर्स।
(4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 175 99वां एसएससी कोर्स (पुरुषों के लिए) (अप्रैल, 2014 में आरंभ)।
(5) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 12 13वां एसएससी महिला (गैर तकनीकी) कोर्स (अप्रैल, 2014 में आरंभ)।

टिप्पणी: (i) आयोग यदि चाहे तो उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

टिप्पणी: (ii) उपरोक्त रिक्तियां अनुमानित हैं तथा सेवा मुख्यालय द्वारा किसी भी समय बदली जा सकती हैं।

ध्यान दें: (I) (क) उम्मीदवार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन प्रपत्र के संबंधित कालम में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि वह सेवाओं के अपने वरीयता क्रम में किस-किस पर विचार किए जाने के इच्छुक हैं। उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि वह नीचे पैरा (ख) एवं (ग) में बताई गई शर्तों के अनुसार जितनी वरीयता के इच्छुक हों उन सभी का उल्लेख करें, ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को देखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर यथोचित विचार किया जा सके।
चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल ओ.टी.ए. के लिए पात्र हैं। उन्हें केवल ओटीए को ही अपनी प्रथम तथा एकमात्र वरीयता देनी चाहिए।

(ख) (i) यदि कोई पुरुष उम्मीदवार केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना) के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को ही अपने विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए। तथापि अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम के साथ-साथ भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी तथा वायु सेना अकादमी के लिए स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम के प्रतियोगी पुरुष उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपने अंतिम विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार द्वारा उच्च वरीयता दिए जाने पर भी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अंतिम विकल्प माना जाएगा।

(ख) (ii) चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल ओ.टी.ए. में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) के लिए ही पात्र हैं। उन्हें ओ.टी.ए. के लिए ही अपनी वरीयता देनी चाहिए।

(ग) वे उम्मीदवार जो भारतीय वायु सेना अकादमी में प्रवेश चाहते हैं, वायु सेना अकादमी (ए.ए.ए.) को अपनी प्रथम प्राथमिकता के रूप में जरूर निर्दिष्ट करें। क्योंकि उनका सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट/इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन्स पर किसी एक एएफएसबी तथा एएफ चिकित्सा में पायलट (विद्यमान चालक) एंटीट्यूट बैटरी टेस्ट किया जाना है। एएफ के विकल्प को द्वितीय/तृतीय आदि प्राथमिकता के रूप में निर्दिष्ट करने को अमान्य माना जाएगा।

महत्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें:

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है।

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाता है।

2. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार वेबसाइट www.upsonline.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। अनुदेश संक्षेप में परिशिष्ट-II में दिए गए हैं।

3. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख:

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 10 दिसंबर, 2012 रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक भरे जा सकते हैं, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

4. परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा कोई प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करेगा।

5. गलत उत्तरों के लिए दंड:

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (निगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

6. ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) में लिखने और चिन्हित करने हेतु उम्मीदवार केवल काले रंग के बाल पेन का इस्तेमाल करें। किसी अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल वर्जित है। पेंसिल अथवा स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें। उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट-III में निहित 'विशेष अनुदेशों' को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

7. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर:

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।

8. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का कोई अतिक्रमण होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स अथवा अन्य कोमती/मूल्यवान वस्तुओं सहित उक्त प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में हुए किसी प्रकार के नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन करने की जरूरत है।

किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है।

(घ) उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीचे ध्यान दें: (II) में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त उन्हें केवल उन कोर्सों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्हें अपनी वरीयता लिखी होगी और अन्य किसी कोर्स (कोर्सों) के लिए नहीं।

(ङ) किसी भी उम्मीदवार का अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं को बढ़ाने/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार दी गयी वरीयता में परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी वरीयता पर भी तभी विचार किया जाएगा जब सेना मुख्यालय द्वारा उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दी गयी हो। जब उम्मीदवार को पहली वरीयता दी गयी हो तथा उम्मीदवार ने उसे लेने से इंकार कर दिया हो तो नियमित कमीशन प्रदान करने हेतु अन्य वरीयताओं के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

ध्यान दें: (II) भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्सों के बचे हुए उम्मीदवार अर्थात् इसे परीक्षा के अंतिम परिणाम के आधार पर स्थायी कमीशन प्राप्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिनकी सिफारिश की गयी है लेकिन जिन्हें किन्हीं कारणों से इन कोर्सों में शामिल नहीं किया जा सका है यदि वे बाद में अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अल्पकालीनसेवा कमीशन प्रदान करने के लिए

विचार योग्य हो सकते हैं। चाहे उन्होंने अपने आवेदन प्रपत्रों में इस कोर्स के लिए अपनी वरीयता नहीं बताई है:

(i) यदि अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए प्रतियोगी सभी उम्मीदवारों को लेने के बाद भी कमी है और

(ii) जो उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन हेतु वरीयता व्यक्त न करने पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं उन्हें वरीयता सूची के क्रम में उस अंतिम उम्मीदवार के बाद रखा जाएगा जिसने इस कोर्स के लिए अपना विकल्प दिया हुआ था क्योंकि ये उम्मीदवार उस कोर्स में प्रवेश पा जाएंगे जिसके लिए वे व्यक्त वरीयता के अनुसार हकदार नहीं हैं।

(iii) जिन उम्मीदवारों ने वायु सेना को प्रथम तथा एकमात्र विकल्प के रूप में चुना है यदि वे पायलट एंटीट्यूट बैटरी टेस्ट में असफल हो जाते हैं तो उन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी) प्रदान करने के लिए बचे हुए उम्मीदवारों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। यदि ये उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी) के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो ऐसे उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए भी अपना विकल्प देना चाहिए।

टिप्पणी-(I): एनसीसी (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध (वरिष्ठ प्रभाग) नौ सेना स्कंध) के सी प्रमाण पत्र प्राप्त उम्मीदवार अल्पकालिक सेवा कमीशन

कोर्सों कर रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। चूंकि उनके लिए इस कोर्स में कोई आरक्षण नहीं है। अतः इस कोर्स में रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह ही समझा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी एनसीसी में 'सी' प्रमाण पत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/नौ सेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किंतु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के लिए पात्र हों, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। किंतु उन्हें एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/नौ सेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय भर्ती सीडीएसई एण्ट्री, (एसएससी पुरुष उम्मीदवार और एसएससी महिला एण्ट्री, महिला उम्मीदवारों के लिए) वेस्ट ब्लॉक-III, आरके पुरम, नई दिल्ली 110066 तथा नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, (ओ.आई., एण्ड आर. अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3 (ए)/वायु सेना मुख्यालय, जे ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 को 13 नवंबर, 2012 तक पहुंच जाएं।

आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पात्रता हेतु उम्मीदवार ने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में जो सेवा की हो वह सीनियर डिवीजन सेना स्कंध में दो शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और सीनियर डिवीजन और वायु सेना/नौसेना स्कंध में 3 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और आयोग के कार्यालय में आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को उस राष्ट्रीय क्रेडिट कोर से मुक्त हुए भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्स के लिए 24 मास से अधिक न हुए हों।

टिप्पणी-(II): भारतीय सैनिक अकादमी कोर्स/वायु सेना अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स में एनसीसी (सेना स्कंध/सीनियर डिवीजन वायु सेना स्कंध/नौ सेना स्कंध) के 'सी' प्रमाणपत्र धारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त इन उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्सों में प्रवेश दिया जाएगा।

(क) परीक्षा की योजना स्तर और पाठ्यविवरण, (ख) आवेदन प्रपत्र भरने हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेशों, (ग) वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश, (घ) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा निर्देश तथा (ङ) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण, अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना क्रमशः परिशिष्ट-I, II, III, IV और V में विस्तार से समझाए गए हैं।

2. परीक्षा केन्द्र: परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी:

आगरतला	गंगटोक	पणजी (गोवा)
अहमदाबाद	हैदराबाद	पटना
ऐजल	इंफाल	पोर्ट ब्लेयर
इलाहाबाद	ईटानगर	रायपुर
बंगलौर	जयपुर	रांची
बरेली	जम्मू	संबलपुर
भोपाल	जोरहाट	शिलांग
चंडीगढ़	कोच्चि	शिमला
चेन्नई	कोहिमा	श्रीनगर

(क्रमशः)

सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है

कटक	कोलकाता	तिरुवनंतापुरम
देहरादून	लखनऊ	तिरुपति
दिल्ली	मुंबई	उदयपुर
धारवाड़	मुंबई	विशाखापटनम
दिसपुर	नागपुर	

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है। आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों का आवंटन 'पहले आवेदन करो, पहले आवंटन पाओ' पर आधारित होगा तथा यदि विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदक को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से संबद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट: उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए पसंद के केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रवेश प्रमाण पत्र में आयोग द्वारा दर्शाए गए केन्द्र/प्रश्न पत्र के अलावा किसी अन्य केन्द्र पर/प्रश्न पत्र में परीक्षा में बैठता है तो ऐसे उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रीयता: उम्मीदवार या तो:-

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा, या
3. भूटान की प्रजा, या
4. तिब्बती शरणार्थी, जो स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी 1962 से पहले आ गया हो या
5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जांबिया, मलावी, जैरे तथा इथियोपिया या वियतनाम के प्रजनन कर आया हो।

परंतु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया हो।

लेकिन नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है उसे उक्त परीक्षा में इस शर्त पर अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाण पत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले दे दिया जाए।

(ख) आयु सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति:
(1) भारतीय सैनिक अकादमी के लिए: केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जनवरी, 1990 से पहले का तथा पहली जनवरी, 1995 के बाद का न हो।

(2) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए: केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जनवरी 1992 (एनसीसी 'सी' नौसेना स्कंध प्रमाणपत्र धारियों के लिए 2 जनवरी 1990) से पहले का तथा पहली जनवरी 1995 के बाद का न हो।

(3) वायु सेना अकादमी के लिए: केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जनवरी 1991 से पहले का तथा पहली जनवरी, 1995 के बाद का न हो।

(4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (पुरुषों के लिए एसएससी कोर्स): केवल ऐसे पुरुष उम्मीदवार, (विवाहित/अविवाहित) ही पात्र हैं, जिनका जन्म 2 जनवरी, 1989 से पहले का तथा पहली जनवरी, 1995 के बाद का न हो।

(5) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (महिलाओं के लिए एसएससी गैर तकनीकी कोर्स): अविवाहित महिलाएं, संतानविहीन विधवाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, तथा संतानविहीन तलाकशुदा महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो,

(तलाक के कागजात होने पर) पात्र हैं। इनका जन्म 2 जनवरी, 1989 से पहले तथा पहली जनवरी 1995 के बाद न हुआ हो।

नोट: तलाकशुदा/विधुर पुरुष उम्मीदवार आईएमए/आईएनए/एएफए कोर्सों में प्रवेश के लिए अविवाहित पुरुष नहीं मानें जाएंगे और तदानुसार वे इन कोर्सों के लिए पात्र नहीं हैं।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। या हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से संबंधी उद्धरण, सेवा अभिलेख तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं। कभी कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्थान के हैड मास्टर/प्रिन्सिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए, जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

टिप्पणी-1: उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2: उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें परिवर्तन या बाद की किसी अन्य परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3: उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गयी जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गयी जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गयी तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं:

(1) भारतीय सैनिक अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।

(2) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए: इंजीनियरी में डिग्री।

(3) वायु सेना अकादमी के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (10+2 स्तर तक भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी के स्नातक।

थल सेना/नौसेना/वायु सेना की पहली वरीयता वाले स्नातकों को ग्रेजुएशन के प्रमाण के रूप में स्नातक/अनंतिम प्रमाण पत्र सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के दिन सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे।

जो उम्मीदवार डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं तथा अभी अंतिम वर्ष की डिग्री में उत्तीर्ण होने वाले हैं, वे आवेदन कर सकते हैं, परंतु उनको डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय/भर्ती सीडीएसई एंटी, वेस्ट ब्लॉक-III, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवार के मामले में नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओ.आई., एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3 (ए)/वायु सेना मुख्यालय, जे ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 को निम्नलिखित तारीख तक

पहुंचा जाए, जिसके न पहुंचने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(1) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए 13 नवंबर, 2013 तक या उससे पहले।

(2) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश के लिए 01 फरवरी 2014 तक या उससे पहले।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है, जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर आयोग के विचार में, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो।

टिप्पणी-1: वे उम्मीदवार, जिन्होंने डिग्री परीक्षा अभी उत्तीर्ण करनी है तभी पात्र हो सकते हैं जब वे डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हों। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिनको संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उनको दी गयी यह विशेष छूट है। उन्हें डिग्री उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है और बुनियादी अर्हक विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से आयोजित किए जाने, परिणाम की घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध का स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-2: जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-3: उड़ान सीखने में असफलता के कारण वायु सेना के जिन उम्मीदवारों को उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित किया जा रहा हो उन्हें भारतीय वायु सेना की नौ परिवहन शाखा में शामिल किया जाएगा। लेकिन यह रिक्तियों की उपलब्धता तथा उल्लिखित गुणात्मक जरूरतों के अध्वधीन होगा (स्नातक 60 प्रतिशत अंकों सहित)।

(घ) शारीरिक मानक:

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा-I, 2013 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को परिशिष्ट-IV में दिए गए शारीरिक मानकों के लिए दिशा-निर्देश के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(4) शुल्क:

उम्मीदवारों को रु 200/- (केवल दो सौ रुपये) फीस के रूप में (सभी महिला/अजा/अजजा उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या बीजा/मास्टर क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

टिप्पणी-1: उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी-2: एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

टिप्पणी-3: जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें अवास्तविक भुगतान का मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

ऐसे सभी आवेदकों को सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से दस दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। तथापि अन्य पिछड़ी

श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

(5) आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों को www.upsconline.nic.in लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आवेदकों को केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती है, वह यह सुनिश्चित कर ले कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे सशस्त्र बल, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों में अथवा निजी रोजगार सहित सरकारी सेवा में कार्यरत हों, अपने आवेदन सीधे आयोग को ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।

कृपया ध्यान दें-I तथापि पहले से ही सरकारी सेवा कर रहे व्यक्तियों, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों अथवा अनियत या दैनिक वेतन श्रेणी के अतिरिक्त कार्य प्रभार (वर्क चार्ज) कर्मचारी के रूप में अथवा लोक उद्यमों में हों, को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

कृपया ध्यान दें-II सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने कमान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उन्हें इस संदर्भ में सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करवाना है।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि आयोग को उम्मीदवारों के नियोक्ता से उनके आवेदन करने/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन रद्द किये जा सकते हैं/उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी: जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे या गलत भरे हुए होंगे, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणी और शुल्क में छूट आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा।

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग ने जिस परीक्षा में उन्हें प्रवेश दिया है, उसके प्रत्येक स्तर, अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पूर्व या बाद में किसी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के शीघ्र बाद जिसकी मई, 2013 माह में घोषित किए जाने की संभावना है। सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय, जैसा मामला हो, को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को उनकी सत्यापित प्रतियों सहित तैयार रखें।

(1) जन्म की तारीख दर्शाते हुए मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष।

(2) डिग्री/अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री पाने के पात्र हैं। प्रथमतः सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए पात्र सभी अर्हक उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के चयन केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने साथ (क्रमशः)

मैट्रिक/हायर सैकेंड्री स्कूल प्रमाण पत्र सहित डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची मूल रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे। वे म्मीदवार जिन्होंने अभी तक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास नहीं की है। उन्हें कॉलेज/संस्था के प्रधानाचार्य से इस आशय का मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आना चाहिए कि उम्मीदवार डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो चुका/रहा है। जो उम्मीदवार सेवा चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त प्रमाण पत्र अपने साथ नहीं लाते हैं। उन्हें सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई छूट नहीं दी जाती है तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाणपत्रों में से कोई मूल प्रमाण पत्र साथ नहीं लाते हैं तो उन्हें सेवा चयन बोर्ड परीक्षण तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उनके खर्च पर उनके घर वापिस भेज दिया जाएगा। यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है:

- किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त न करना, या
- किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- जाली प्रलेख या फेर बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या
- परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
- परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- परीक्षा के दौरान मोबाइल/फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
- उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, या
- ऊपर खंडों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

तो उन पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उनके साथ ही उसे:

- आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा
 - उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए:
 - (1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,
 - (2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और
 - (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:
- उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और
 - उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख: ऑन लाइन आवेदन प्रपत्र 10 दिसंबर, 2012 रात्रि 11.59 बजे तक भरे जा सकते हैं जिसके

पश्चात लिंक निरुपयोज्य होगा।

7. आयोग/सेना/नौसेना/वायुसेना मुख्यालय के साथ पत्र व्यवहार:

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात आरआईडी तथा जन्मतिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्मतिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि उपलब्ध होने चाहिए।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व तक ई-प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबंध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या: 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनकी पात्रता तथा उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रवेश आवेदन प्रपत्र पर उनके द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर पूर्णतः अनंतिम होगा। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्याधीन होगा।

(iii) यदि कोई उम्मीदवार किसी अन्य दूसरे उम्मीदवार का ई-प्रवेश प्रमाण पत्र गलत कार्रवाई के कारण पाता है, उस ई-प्रवेश प्रमाण पत्र को तत्काल आयोग को अनुरोध के साथ सही ई-प्रवेश प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सूचित करना चाहिए। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि अन्य दूसरे उम्मीदवार के संबंध में निर्गत किए गए ई-प्रवेश प्रमाण पत्र पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

(iv) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(v) उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vi) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गयी ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो।

महत्वपूर्ण: आयोग/सेना मुख्यालय से पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए।

- परीक्षा का नाम और वर्ष।
- रजिस्ट्रेशन आईडी (आरआईडी)।
- अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो)।
- उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)।
- पत्र व्यवहार का पूरा पता, टेलीफोन नंबर सहित, यदि कोई हो, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

विशेष ध्यान: (1) जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

(2) यदि किसी परीक्षा समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(3) सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशासित उम्मीदवारों के अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता, बिना टिकट लगे

लिफाफे पर लिखकर, भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपनी पहली वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को सेना मुख्यालय, एजी ब्रांच, रिक्रूटिंग सीडीएसई, एंटी सेक्शन पुरुष उम्मीदवारों के लिए वेस्ट ब्लॉक-3, विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को और नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर (ओआई एण्ड आर अनुभाग), कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को पीओ-3 (ए), वायु सेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक कमरा नं. 17, वायु सेना भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 के पते पर सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए सम्मन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

केन्द्रों का आवंटन एसएसबी साक्षात्कार की तारीख योग्यताक्रम सूची, ज्वाइन करने के लिए अनुदेश संबंधी सभी प्रश्नों और चयन प्रक्रिया से संबंध किसी अन्य प्रकार की संगत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in देखें। अथवा सभी कार्यदिवसों में 14:00 बजे से 17:00 बजे के बीच दूरभाष सं. (011)-26173215 और फैक्स सं. 011-26196205 पर भर्ती निदेशालय से संपर्क करें और वायु सेना प्रथम वरीयता उम्मीदवारों के लिए पीओ-3 (ए) वायु सेना मुख्यालय 'जे' ब्लॉक कमरा नं. 17, वायु सेना भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 तथा नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर (ओआई एण्ड आर अनुभाग), कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर लिखने चाहिए।

उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए भेजे गए सम्मन पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करनी है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबंध अनुरोध पर केवल यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय होगा। ऐसे अनुरोध उस चयन केन्द्र/सेवा चयन बोर्ड, जहां से साक्षात्कार प्रस्ताव प्राप्त होता है, को भेजे जाने चाहिए। नौसेना के उम्मीदवार परिणाम के प्रकाशन के तीन सप्ताह के बाद अपना बुलावा पत्र नौसेना की वेबसाइट www.nausena-bharti.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

विशेष ध्यान दें: यदि किसी उम्मीदवार को भारतीय सैनिक अकादमी हेतु अगस्त, 2013 के चौथे हफ्ते तक और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी हेतु अक्टूबर, 2013 के चौथे हफ्ते तक सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे सेना मुख्यालय, भर्ती सीडीएसई एंटी (एसएससी महिला एंटी, एसएससी गैर तकनीकी) वेस्ट ब्लॉक-3, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को साक्षात्कार पत्र न मिलने के बारे में लिखना चाहिए अथवा दूरभाष संख्या 26176028 पर एसएससी गैर तकनीकी पुरुष के लिए और दूरभाष सं. 26175473 पर महिला एंटी के लिए संपर्क करना चाहिए। नौसेना/वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न के मामले में उन्हें नौसेना मुख्यालय/वायुसेना मुख्यालय को लिखना चाहिए जैसा कि विशेष ध्यान दें- (III) में उल्लिखित है। (अगस्त, 2013 के चौथे सप्ताह तक पत्र न मिलने की स्थिति में)

(vii) मूल प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण: सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कारों में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के बाद शैक्षिक योग्यता के समर्थन में अपने मूल प्रमाण पत्र (प्रत्येक की दो सत्यापित प्रतियां सहित) सेवा चयन बोर्ड/केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे। उन उम्मीदवार को जो डिग्री परीक्षा में बैठ रहे हैं, अपने प्रमाण पत्र 13 नवंबर, 2013 (केवल एसएससी के मामले में 01 फरवरी, 2014) तक प्रस्तुत करने होंगे। तत्संबंधी अनुदेश सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर दिए जाएंगे। मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापन के बाद लौटा दिया जाएगा। प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा फोटो प्रतियां किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी।

8. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश:

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उनकी वरीयता के आधार पर सेवा बोर्ड में बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भेजा जाता है। सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षण के परिणाम सभी पाठ्यक्रमों के लिए उचित रूप से रहेंगे (अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी) (डीई) पाठ्यक्रम, देहरादून, भारतीय नौसेना अकादमी इश्रीमाला पाठ्यक्रम, वायुसेना अकादमी (उड़ान पूर्व) पाठ्यक्रम हैदराबाद तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई पर एसएससी (एनटी पाठ्यक्रम) जिनके लिए उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा पास की है। चाहे उसे आयोजित करने वाला सेवा मुख्यालय कोई भी हो। सेवा चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण पर आधारित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया आरंभ की है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों पर रिपोर्ट करने के पहले दिन ही पहले स्तर का परीक्षण पास कर लेते हैं, उन्हें द्वितीय स्तर/शेष परीक्षणों में प्रवेश दिया जाएगा तथा वे सभी उम्मीदवार जो पहला स्तर पास करने में असफल रहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सफल उम्मीदवारों को निम्नलिखित की एक-एक फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी:-

- जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन पास प्रमाण पत्र या समकक्ष।
- शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी वर्षों/सेमिस्टर्स के अंक पत्रकों सहित बैचलर डिग्री/अनंतिम डिग्री उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति और सहायता पाने के वह हकदार नहीं होंगे। वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में रखा जाएगा। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में सफल होने मात्र से ही भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में, जैसी स्थिति हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए योग्यता के क्रम में किया जाएगा।

टिप्पणी: वायु सेना/नौसेना विमानन के प्रत्येक उम्मीदवार को पायलट संबंधी अभिरुचि का परीक्षण केवल एक बार किया जाता है, अतः पहले परीक्षण में उसने जो ग्रेड प्राप्त किया है, उसकी वायु सेना चयन बोर्ड के लिए किए जाने वाले बाद के प्रत्येक साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। वे उम्मीदवार जो भारतीय नौसेना चयन बोर्ड/पायलट एप्टीच्युड बैट्री टेस्ट में पहले अनुत्तीर्ण रहे हैं तथा वे जो प्रायः चश्मा पहनते हैं वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं। उन उम्मीदवारों को वायु सेना चयन बोर्ड में परीक्षण/साक्षात्कार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं। एफ (पी) कोर्स में प्रवेश के लिए तीन तरीके हैं अर्थात् सीडीएसई/एनसीसी/एयरमैन। वे उम्मीदवार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं उनका वायु सेना चयन बोर्ड में वायु सेना के लिए केवल एक बार परीक्षण/साक्षात्कार होगा। कॉमन उम्मीदवार जो एनसीसी या एयरमैन के रूप में आईएनएस-बी/पीएबी परीक्षण में असफल हो जाते हैं और यदि यह पता चलता है कि उसने सीडीएस परीक्षा के माध्यम से आवेदन किया है तो उन्हें केवल थल सेना/नौसेना/अधिकारी प्रशिक्षण सेवा के लिए ओ.एल.क्यू. परीक्षण के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार आईएमए (डीई) कोर्स और/या नौसेना (एसई) कोर्स और/या वायुसेना अकादमी कोर्स की लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं चाहे

वे एसएससी कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं या नहीं उनको अगस्त से अक्टूबर, 2013 में सेवा बोर्ड के परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और जो उम्मीदवार केवल एसएससी कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं उनको नवंबर, 2013 से फरवरी, 2014 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिए भेजा जाएगा।

9. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अर्हताएं:

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैनिक अकादमी, वायुसेना अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से पहले प्रवेश पा चुके हैं पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिए गए हैं, उनको भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या थल सेना अकादमी से अल्पकालीन सेवा कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सैनिक अकादमी से वापस किया गया हो उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एंट्री नेवल कैडेट्स के रूप में चुन लिया गया हो पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौ सेना प्रतिष्ठानों से वापस किया हो वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एनसीसी तथा स्नातक कोर्स से वापस लिया गया हो, उनके बारे में थल सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण एनसीसी तथा स्नातक कोर्स से पहले वापस किया गया हो, उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10. भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध: भारतीय सैनिक अकादमी और भारतीय नौसेना अकादमी या वायुसेना अकादमी के कोर्स के उम्मीदवारों को या महिला उम्मीदवारों को जो अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती होती हैं इस

बात का परिवचन देना है कि जब तक उसका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली परीक्षा में भले ही सफल हों। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में ही शादी कर लेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया वह सब उससे वसूल किया जाएगा। अल्पकालीन सेवा कमीशन के पाठ्यक्रम को कोई पुरुष उम्मीदवार: (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की हो या शादी के लिए अनुबंध कर लिया हो जिसका पहले से कोई जीवित पति है या

(ख) जिसने पहले से जीवित पत्नी के होते हुए भी किसी अन्य से शादी की हो या शादी के लिए अनुबंध कर लिया हो। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश/अल्पकालीन सेवा कमीशन की प्राप्ति का पात्र नहीं होगा। परंतु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्तियों के लिए और शादी के दूसरी तरफ के व्यक्तियों के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार, अनुमोदनीय है और ऐसा करने के अन्य ठोस कारण हैं तो किसी व्यक्ति को वह इस नियम के अनुपालन में छूट दे सकती है।

11. भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध:

भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिए विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापिस लेने से संबंधित उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एस. एम. सुंदरम

उप सचिव

संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना:

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(क) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा

(ख) उन उम्मीदवारों का बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग-ख के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिए दिए जाने वाला समय और प्रत्येक विषय के लिए नियत अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे।

(क) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	2 घंटे	100

(ख) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किए गए हैं, वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक क्रमशः 300, 300, 300 और 200 होंगे।

परिशिष्ट-II

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार को www.upsconline.nic.in वेबसाइट का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उम्मीदवारों को डॉप डाउन मेनू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।

उम्मीदवारों को 200/- रु के शुल्क (महिला, अजा और अजजा उम्मीदवारों जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, को छोड़कर) को या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर/एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।

ऑनलाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से इस प्रकार से स्कैन करना है कि प्रत्येक 40 केबी से अधिक नहीं हों। लेकिन आकार में 3 केबी से कम न हो।

ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को दिनांक 10 नवंबर, 2012 से 10 दिसंबर, 2012 रात्रि

3. सभी विषयों के प्रश्नपत्र केवल वस्तु परक प्रकार के होंगे। सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में, द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे।

4. प्रश्न पत्रों में जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जाएगी।

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक पर है।

7. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिए केलकूलेटर प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः वे उसे परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण:

स्तर

प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

पाठ्य विवरण

अंग्रेजी (कोड सं.01)

प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा कि जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं.02)

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामले के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देना चाहिए।

प्रारंभिक गणित (कोड सं.03)

अंकगणित

संख्या पद्धतियां: घनपूर्ण, संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं – जोड़, घटाना, गुणन और विभाजन, वर्गमूल, दशमल भिन्न।

एकिक विधि: समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात विवरण।

प्रारंभिक संख्या सिद्धांत: विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, 2,3,4,5,9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण अपवर्त्य और गुणनखंड/गुणनखंडन प्रमेय/महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि।

आधार 10 तक लघुगुणक, लघुगुणक के नियम, लघु-गुणकीय सारणियों का प्रयोग।

बीजगणित

आधारभूत संक्रियाएं: साधारण गुणनखंड, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम, समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य सिद्धांत, द्विघ्न समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणकों के बीच संबंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए) दो अज्ञात राशियों में युगपद रेखिक समीकरण, विश्लेषण और ग्राफ संबंधी हल, दो चरों में युगपद रेखिक असिमिकाएं और उनके हल, प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपद, रेखिक समीकरण या असिमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति

ज्या X, कोटिज्या X, स्पर्श रेखा X, जब $0^\circ \leq X \leq 90^\circ$ कोटिज्या, स्पर्श रेखा X का मान जबकि $X=0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ और 90° सरल त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग, ऊंचाइयों और दूरियों के सरल कोण।

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति: निम्नलिखित पर प्रमेय: (1) किसी बिंदु पर कोणों के गुण धर्म, (2) समांतर रेखाएं, (3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, (4) त्रिभुज की सर्वांगसमता, (5) समरूप त्रिभुज, (6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन, (7) समानान्तर चतुर्भुजों, आयत और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुण धर्म, (8) वृत्त और उनके गुण धर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब भी शामिल हैं, (9) स्थानिक संयक।

विस्तार कलन

वर्गों, आयतों, समानांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल, जो इन आकृतियों में विभाजित की जा सकती हैं। (क्षेत्र वही) घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लम्ब, वृत्तीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व पठाय तथा आयतन/गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह तथा सारणीयन, आरेखी निरूपण, बारम्बारता, बहुभुज आयत, चित्र शलाका चार्ट, पाई चार्ट आदि केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप रेखाओं के बीच कोण।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जाएगी। उनके गुण परीक्षण भी किए जाएंगे। जैसे गुण परिचर्चा, गुण योजना, बहिरंग गुण कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधा शक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर यह परीक्षण वास्तव में न केवल उनके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए है अपितु इससे उनकी सामाजिक विशेषताओं तथा समसामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट-III

वस्तुपरक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म का काला बाल पेन लिखने के लिए भी उन्हें काले बाल पेन का ही प्रयोग करना चाहिए. उत्तर पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे.

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रॉनिक या अन्य किसी प्रकार के केलक्यूलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, आदि परीक्षा हाल में न लाएं.

मोबाइल फोन, पेजर एवं संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है.

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हाल में कोई भी बहुमुल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती. इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा.

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (निगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा

- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा.
- यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा.
- यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा.

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा.

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाए तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करे. ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा.

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक में ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक काले बाल प्वाइंट पेन से लिखें. उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (एबीसीडी, यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बाल पेन से कूटबद्ध करें. उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं. यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें.

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा.

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गयी है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है. यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए.

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें.

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या विकृत न करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं. उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें.

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा. अतः उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए. उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बाल पेन का उपयोग करना चाहिए. बॉक्सों में लिखने के लिए भी उन्हें काले बाल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए. चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गयी प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों का बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए.

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

वस्तुपरक परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे. प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं. उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है.

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा. इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3,आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे. आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है. यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा. किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा. यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा.

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं. प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी)

और (डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं. जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बाल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है.

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बाल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है.

उदाहरण (a) ● (c) (d)

11. उम्मीदवार अपने उत्तरों को अपने ही हाथ से लिखें. उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

12. स्कैनेबल उपस्थिति सूची में एंटी कैसे करें:

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, जैसा नीचे दिया गया है, अपने कॉलम के सामने केवल काले बाल पेन से संगत विवरण भरना है.

(i) उपस्थिति/अनुपस्थिति कॉलम में, (P) वाले गोले को काला करना है.

(ii) समुचित परीक्षण पुस्तिका सीरीज के संगत गोले को काले करें.

(iii) समुचित परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें.

(iv) समुचित उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें, और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें.

(v) दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें.

13. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें. यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है.

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षाओं के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें. आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे. उम्मीदवार को उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गयी है. यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए.

आप उत्तर पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा.

Center Subject S.Code Roll Number
केन्द्र विषय विषय कोड अनुक्रमांक

मान लो यदि आप अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बाल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए.

Center Subject S.Code Roll Number
केन्द्र विषय विषय कोड अनुक्रमांक

दिल्ली अंग्रेजी (ए)

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बाल प्वाइंट से लिखें.

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं.

आप काले बाल पेन से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है. यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें.

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूँढ़ें. जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य काले बाल पेन से करें. केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है. परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए. 'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के अंग्रेजी प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखनी है. इसे इस प्रकार लिखें.

Booklet Series (A)

पुस्तिका क्रम (ए)

-
- Ⓐ
- Ⓑ
- Ⓒ
- Ⓓ

Subject

विषय

0	1
●	⓪
①	①
②	②
③	③
④	④
⑤	⑤
⑥	⑥
⑦	⑦
⑧	⑧
⑨	⑨

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '9' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कॉलम में) और 9 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें. आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे. तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें. इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे.

महत्वपूर्ण: कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है.

अनुक्रमांक					
0	8	1	2	7	6
●	①	①	①	①	①
①	①	●	①	①	①
②	②	②	●	②	②
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	●
⑦	⑦	⑦	⑦	●	⑦
⑧	●	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है.

(क्रमशः)

फोटो रिफ्रेक्टिव कैराटोटमी, स्वस्थाने, कैराटोमिलेयुसिस (पीआरके/लेसिक) सर्जरी की अनुमति नहीं है। जिन उम्मीदवारों की आईओएल इम्प्लांट सहित या रहित मोतियाबिंद सर्जरी हो चुकी हो, वे भी अनुपयुक्त घोषित किए जाएंगे।

द्विनेत्री दृष्टि-अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए। (उत्तम विस्तार और गहराई सहित प्यूजन और स्टीरियोपिसिस)

जिन उम्मीदवारों की लेसिक सर्जरी हो चुकी हो, उन्हें भारतीय वायु सेना की फ्लाईंग शाखा में स्थायी कमीशन हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है।

(घ) मानक

(i) वाक परीक्षण: प्रत्येक कान से 610 सेंमी से कानाफूसी सुनाई दे।

(ii) श्रव्यतामितीयक: 250 एचजैड तथा 4000 एचजैड के बीच की आवृत्तियों में व्यश्चित कमी 20 डीबी से अधिक न हो।

(ड) रुटीन ईसीजी तथा ईईजी सामान्य सीमा में हो।

3. एक्स-रे जांच के उपरांत निम्नलिखित स्थितियों का पाया जाना थल सेना और नौ सेना में प्रवेश के लिए अपात्रता होगा:

- (क) मेरूदंड का कणिकागुल्मीय रोग।
 (ख) आर्थराइटिस/स्पोडिलेसिस।
 (ग) कॉब पद्धति से मापा गया 15 डिग्री से अधिक स्कोलिओसिस (थल सेना के लिए 10 डिग्री)।
 (घ) मंद से अपेक्षाकृत अधिक कायफोसिस/लार्डोसिस।
 (ङ) स्पोर्टिलोसिथैसिस/स्पोडिलोसिस।
 (च) हर्निएटिड न्यूकलिय पलपोसस।
 (छ) कशेरूका का सम्पीडन अस्थिभंग।
 (ज) सेक्रेलाइजेशन रोग।
 (झ) प्रदर्शनीय तंत्रिकीय या परिसंचरणीय अभाव के साथ ग्रेव पशुका।
 (ञ) पद से अधिक स्तर पर स्कलिमोलर् नोड की उपस्थिति।
 (ट) शीर्ष धरानुकपाल (ऐंटलांटो-आकसीपोटल) तथा ऐटलांटो अक्षीय असंगतियां।
 (ठ) अपूर्ण सेक्रेलाइजेशन एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय।
 (ड) एसवी-1 तथा एलवी-5 से इतर स्वाईनाबाईफिडा।
 (ढ) विशेषज्ञ द्वारा मानी गयी कोई अन्य असमान्यता।

वायु सेना हेतु मेरूदंड की स्थिति

मेरू या सेक्रो इलियक संधि संबंधी रोग या चोट का पूर्व चिकित्सा वृत होने के कारण उन वास्तविक लक्षणों के साथ या बिना, जिनके कारण उम्मीदवार शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली सफल तरीके से न व्यतीत कर रहा हो, भारतीय वायु सेना में कमीशन हेतु निरस्तीकरण का मामला है। पूर्व में मेरू अस्थिभंग/भ्रंश कशेरूकी डिस्क तथा इन स्थितियों में हुई शल्य चिकित्सा भी निरस्तीकरण का आधार होगा। चिकित्सा परीक्षा के समय निम्नलिखित स्थितियों का पता लगने पर वायु सेना सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा।

- (क) मेरूदंड का कणिका गुल्मीय रोग।
 (ख) संधिशोथ संरूप/कशेरूकासंधिग्रह
 (i) रुमेटॉइड संधिशोथ तथा संबद्ध विकार
 (ii) संधि सायुज्यक कशेरूकासंधिशोथ
 (iii) अस्थिसंधि विकृति, कशेरूकासंधिग्रह तथा व्यपजनन संधि रोग
 (iv) गैर संधि आमवात (यथा, घूर्णी कफ विकृति, टेनिस कूपर, प्रत्यावर्ती कटिवेदना)
 (v) एसएलई, त्वक्पेशी शोथ, बहुपेशीशोथ, वाहिकाशोथ सहित विविध विकार
 (ग) कशेरूकाग्रसर्पण/स्पॉडिलोलाइसिस/कशेरूकासंधिग्रह

- (घ) कशेरूका का सम्पीडन अस्थिभंग
 (ङ) शुअरमैन्स रोग (कौमार कुब्जता)
 (च) ग्रीवा मेरू की नैदानिक प्रतिबंधित गति से संबंध ग्रीवा अग्रकुब्जता की क्षति
 (छ) स्पष्ट तंत्रिका विज्ञानी या परिसंचरण ह्रास सहित एकपार्श्वी/द्विपार्श्वी ग्रेव पशुका
 (ज) कोब पद्धति द्वारा मापे जाने पर 15 डिग्री से अधिक पार्श्वकुब्जता
 (झ) हर्निएटिड न्यूक्लियस पलपोसस
 (ञ) एक से अधिक स्तर पर श्मोलर् नोड्स का पाया जाना
 (ट) शीर्षधर-पश्चकपाल तथा शीर्षधर-अक्षक असंगतियां

(ठ) ग्रीवा, अभिपृष्ठ या कटि मेरूदंड में किसी भी स्तर पर अर्ध कशेरूका तथा/अथवा अपूर्ण अवरूद्ध (फ्यूज्ड) कशेरूका तथा ग्रीवा या अभिपृष्ठ मेरूदंड में एक से अधिक स्तर पर पूर्णतया अवरूद्ध कशेरूका

(ड) सभी स्तरों पर एकपार्श्वी त्रिकोस्थिभवन या कटि कशेरूकाभवन (पूर्ण या अपूर्ण) तथा द्विपार्श्वी अपूर्ण त्रिकोस्थिभवन या कटि कशेरूकाभवन

(ढ) विशेषज्ञ द्वारा विचार की गई कोई अन्य अपसामान्यता

4. नौसेनिक विमानन शाखा के उम्मीदवार हेतु स्वास्थ्य मानक वही होंगे जो वायु सेना के उड़ान ड्यूटी हेतु उम्मीदवार हैं।

5. किसी एक सेवा के लिए निर्धारित विशेष परीक्षण किये जाने के दौरान यदि अक्षमता का पता चलता है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा अनर्हक ठहराए जाने की स्थिति में वह अक्षमता उम्मीदवार को अन्य सेवा (सेवाओं) के लिए भी अयोग्य ठहरा सकती है।

6. शारीरिक अवस्था: संभावित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधोउल्लिखित दिनचर्या का पालन करके स्वयं को अच्छी शारीरिक अवस्था में रखें:

- (क) धावन/दौड़ : 15 मिनट में 2 से 4 किमी
 (ख) रस्सी कूद :
 (ग) पुश अप एवं : प्रत्येक न्यूनतम 20 सिट अप
 (घ) चिन अप : न्यूनतम 08
 (ङ) रस्सी पर : 3 से 4 मीटर चढ़ना/आरोहण

परिशिष्ट-V

सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये गए हैं। थल सेना अधिकारी व नौसेना और वायु सेना के समकक्ष रैंक के लिए वेतनमान:

- (i) वेतन
 (क) रैंक पे बैंड (रु)
 लैफ्टिनेंट से मेजर रु 15600-39100/- (पे बैंड-3)
 लैफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल रु 37400-67000 (पे बैंड-4)
 लैफ्टिनेंट जनरल 67000-(वार्षिक वेतन वृद्धि @3%)-79000
 एचएजी मान* 75500-(वार्षिक वेतन वृद्धि @3%)-80000

(*लैफ्टिनेंट जनरल के कुल संख्या के 1/3 पर लागू होगी)
 वीसीओएस/सेना 80000 (नियत)
 कमांडर/लैफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी) सीओएस 90000 (नियत)
 (ख) वेतन के अतिरिक्त ग्रेड पे भी निम्नानुसार दी जाएगी:

- लैफ्टिनेंट 5400/-
 कैप्टेन 6100/-
 मेजर 6600/-
 लैफ्टिनेंट कर्नल 8000/-
 कर्नल 8700/-
 ब्रिगेडियर 8900/-
 मेजर जनरल 10000/-

एवीएस समिति की अनुशंसाओं पर सेना के अधिकारी संवर्ग के पुनर्गठन के कारण पदोन्नति की अवधि कम कर दी गई है तथा समय वेतनमान पदोन्नति कर्नल (समकक्ष) के पद तक बढ़ा दी गयी है तथा लेफ्ट. कर्नल (टीएस) (समकक्ष) ग्रेड वेतन रु 8700/- प्रतिमाह के हकदार हैं।

(ग) लैफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक के रैंक के अधिकारियों को सेना सेवा वेतन (एमएसपी) के रूप में 6000/-रु प्रतिमाह की एक नियत धनराशि भी देय है।

(घ) कैडिट प्रशिक्षण हेतु वृत्तिका कैडिट पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान 21000/- रुपए प्रतिमाह (15600/-रुपये पे बैंड के वेतन के रूप में तथा 5400/- रु का ग्रेड पे) की नियत वृत्तिका पाने का हकदार होंगे।

(ii) योग्यता वेतन तथा अनुदान अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर रु 6000/-, 9000/-, 15000/- या 20000/- का एकमुश्त योग्यता अनुदान देय है।

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय है:

- (i) मास्टर उड़ान अनुदेशक, श्रेणी, 500/- रु प्रतिमाह

(ii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I, 400/- रु प्रतिमाह
 (iii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I, 280/- रु प्रतिमाह
 (iv) मास्टर ग्रीन कार्ड धारक वायुयान चालक, 400/- रु प्रतिमाह

(v) ग्रीन कार्ड धारक वायुयान चालक, 280/-रु प्रतिमाह
 सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है:

- (क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर 10500/-रु
 (ख) मेजर से कर्नल 14000/-रु
 (ग) कैप्टन और समकक्ष 11000/-रु
 (घ) लैफ्टिनेंट और समकक्ष 9000/-रु
 अन्य भत्ते
 (क) महंगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।
 (ख) रु 400/- प्रतिमाह की दर से किट रखरखाव भत्ता

(ग) तैनाती के क्षेत्र व रैंक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी 6780/-रु से 8400/-रु प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता 4200/-रु से 5200/-रु प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा 1600/- रु से 2000/- रु प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे।

(घ) प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त अधिकारियों को 9000 फीट और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को 1060/- रु प्रतिमाह से 11200/- रु प्रतिमाह तकनीकी रेंज में हाई एल्टीट्यूड भत्ते के पात्र होंगे। जो अधिकारी के रैंक और तैनाती के स्थान पर निर्भर करेगा।

(ङ) सभी रैंक के अधिकारियों को प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त 14000/-रु प्रतिमाह की दर से सियाचिन भत्ता देय होगा। तथापि यह भत्ता अधिक ऊंचाई/प्रतिकूल जलवायु भत्ते के साथ देय नहीं है।

(च) परिधान भत्ता: एक बार किट के लिए 14000/- रुपए की दर से आरंभिक भत्ता और प्रति तीन वर्ष के लिए 3000/-रु
 (छ) सभी अधिकारियों को मुफ्त राशन दिया जाता है।

(ज) परिवहन भत्ता: अधिकारियों को ए-1/ए वर्ग के शहरों में परिवहन भत्ता 3200/- +उस पर महंगाई भत्ता प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर 1600/- रु+उस पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
 (झ) बच्चों की शिक्षा भत्ता।

(ण) विशिष्ट रूप से रक्षा बलों को देय भत्तों की दरों में और 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है क्योंकि महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो गया है।

(क) भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:

1. भारतीय सैनिक अकादमी में भर्ती करने से पूर्व: (क) इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय क बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है, या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र और किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापिस करनी होगी।

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन 'जेंटलमैन कैडेट' के रूप में दर्ज किए जाएंगे। 'जेंटलमैन कैडेट' पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए 'भारतीय सैन्य अकादमी के नियम और विनियम लागू होंगे।'

8. यद्यपि आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, तथापि यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना जेब खर्च वे खुद बर्दाश्त करेंगे। भारतीय सैनिक अकादमी में (उम्मीदवार का न्यूनतम

मासिक व्यय 200.00 रु. से अधिक होने की संभावना नहीं है) यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप से बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और नौ सेना और वायु सेना में स्थापित सदृश प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे ऐसे पुरुष/महिला कैडेट, जिनके माता-पिता/अभिभावक की प्रति माह आय 1500/- रु. (संशोधन विचारधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है वित्तीय सहायता लेने के हकदार हैं। जिन माता-पिता/अभिभावक की आय 1500/- रु. (संशोधन विचारधीन) प्रतिमाह से अधिक लेकिन 2000/- रु. (संशोधन विचारधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है। यदि उनका एक लड़का/आश्रित उक्त एक या एक से अधिक संस्था में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके बच्चों/आश्रितों को भी वही वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि संस्थाएं एक ही सेवा के अधीन हैं या नहीं।

वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन पत्र देना चाहिए। जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के कमांडेंट को अर्पित कर देगा।

4. भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी।

- (क) प्रतिमाह रु. 200.00 रु. 1000.00 के हिसाब से 5 महीने का जेब खर्च
 (ख) वस्त्र तथा उपस्कर की रु. 2750.00 मदों के लिए योग्य रु. 3750.00
 उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी।

200.00 रुपए प्रतिमाह के 1000.00 रुपए के हिसाब से पांच महीने के जेब खर्च

5. भारतीय सैनिक अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं:

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति: यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रुपए प्रति वर्ष है जो कैडेटों को भारतीय सैनिक अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे।

(2) कर्नल कैंडिल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति: इस छात्रवृत्ति की राशि 360/- रुपए प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता से अतिरिक्त होती है।

6. भारतीय सैनिक अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत समय-समय लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च होती वह:

(क) कैडेट को कमीशन दे दिए जाने पर दे दी जाएगी।

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापिस कर दी जाएगी। कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी।

किंतु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्यागपत्र देता है या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे (क्रमशः)

वापस ले लिया जाएगा. इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा.

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने वाले जेंटलमैन कैडेट को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है. उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल लिए जाएंगे. भारतीय सैनिक अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उनके माता/पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे. जिस कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सेना मुख्यालय की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है. इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को अपनी यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा.

8. कमीशन, प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने पर ही दिया जाएगा. कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी. यह कमीशन स्थायी होगा.

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेवा के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय पर लागू होंगी.

10. प्रशिक्षण

भारतीय सैनिक अकादमी में आर्मी कैडेट को 'जेंटलमैन कैडेट' का नाम दिया जाता है. उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इंफैंट्री के उप-यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें. प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत जेंटलमैन कैडेटों को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एसएचएपीई शारीरिक रूप से स्वस्थ हो.

11. बीमा

भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे जेंटलमैन/ महिला कैडेटा का पहला अप्रैल, 2011 से 40 लाख रु. के लिए बीमा किया जाता है. विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर अकादमी से बाहर कर दिया जाता है, उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 20 लाख रु. के लिए बीमा किया जाएगा जो 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 4 लाख रु. तक आनुपातिक रूप से कम हो जाता है. यथापि, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए किसी प्रकार का विकलांगता लाभ देय नहीं है लेकिन 50,000/- रु. का अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा. मदिशान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले जेंटलमैन/महिला कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह के लिए पात्र नहीं होंगे. वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे जेंटलमैन/महिला कैडेटों को मासिक आधार पर अंशदान के रूप में 4,000/- रु. की दर से अग्रिम भुगतान करना होगा और नियमित सैनिक अधिकारियों पर यथा लागू मुख्य सेना सामूहिक बीमा योजना के सदस्य बन जाएंगे.

12. सेवा की शर्तें:

(1) तैनाती : थलसेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं.

(2) पदोन्नति

(क) स्थायी पदोन्नति उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं:

समयमान द्वारा :		
लेफ्टिनेंट कैप्टन	(प्रशिक्षण पूर्ण होने पर)	2 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर		6 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट कर्नल		13 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल (टीएस)		26 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
चयन द्वारा		
कर्नल		15 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
ब्रिगेडियर		23 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा

मेजर जनरल	25 वर्षों की कमीशन प्राप्त सेवा	गणनीय
लेफ्टिनेंट जनरल	28 वर्षों की कमीशन प्राप्त सेवा	गणनीय
जनरल	कोई प्रतिबंध नहीं	

(ख) कार्यकारी पदोन्नति

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर अफसर उच्चतर रैंकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे. बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों:

कैप्टन	01 वर्ष	
मेजर	03 वर्ष (कार्यक्षेत्र जहां पर वास्तव में युद्ध न हो)	
	04 वर्ष (शांतिपूर्ण क्षेत्र में)	
लेफ्टिनेंट कर्नल	07 वर्ष (शांतिपूर्ण क्षेत्र में)	
कर्नल	8 1/2 वर्ष	
ब्रिगेडियर	12 वर्ष	
मेजर जनरल	20 वर्ष	
लेफ्टिनेंट जनरल	25 वर्ष	

(ख) भारतीय नौ सेना अकादमी, इझीमाला, केरल में पदभार ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों के लिए

(i) अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैडेट्स के रूप में नियुक्त किए जाएंगे. 35000/- रु. की राशि उनके द्वारा दी जाएगी और बैंक एकाउंट में जमा की जाएगी जिसे वे आने पर भारतीय स्टेट बैंक, इझीमाला शाखा में खुलवाएंगे. क्योंकि यह बड़ी राशि है, यह सलाह दी जाती है कि वे स्वयं का देय डिमांड ड्राफ्ट लाएं. जमा की गई राशि निम्नलिखित व्यय के लिए उपयोग में लाई जाएगी:

विविध व्यय

(क) जेब खर्च/व्यक्ति व्यय	5000/- रु. @1000 रु. प्रतिमाह की दर से
(ख) धुलायी, सिविलियन बियर सिनेमा, बाल कटाई और अन्य विविध सेवाएं	4,250/- रु. @850 रु. प्रतिमाह की दर से
(ग) अकादमी ब्लेजर, अकादमी टाई, अकादमी मुफ्ती खेल के कपड़े, जोगिंग शूज, जंगल बूट्स,स्विमिंग ट्रैक/सूट और बस्ता की स्टिचिंग/ खरीद पर व्यय	2,000/- रु.

(घ) अवधि के अंत में वापसी यात्रा, नौ सेना ओरियंटेशन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर अवकाश ड्यूटी स्टेशन/ होम स्टेशन पर जाने के लिए यात्रा व्यय

(ङ.) बीमा : नौसेना अकादमी में 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान, प्रतिवेदन के समय, उम्मीदवार को 8 लाख रुपए के बीमा आवरण हेतु 780/- रुपए की राशि के प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो कि वापस नहीं होगा. प्रत्येक पदावनति अवधि के लिए रुपए 780/- के एक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा.

(ii) चयनित उम्मीदवारों को कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा नौसेना जहाज एवं स्थापना में प्रशिक्षण के लिए जाना होगा जो निम्नलिखित :

(कक) नौसेना अकादमी इझीमाला	44 सप्ताह
नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम	
(खख) कैडेट प्रशिक्षण	06 महीने
(गग) मिडशिपमैन (जहाज पर प्रशिक्षण)	06 महीने
(घघ) उप-लेफ्टिनेंट (तकनीकी पाठ्यक्रम)	32 सप्ताह

(iii) उपर्युक्त प्रशिक्षण के पूरे होने पर अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय नौ सेना के जहाजों पर नौसेना निगरानी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए की जाएगी जिसके लिए कम से कम छह महीने की अवधि अनिवार्य है.

(iv) भारतीय नौसेना अकादमी के कैडेटों के अवास एवं संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन और चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा. तथापि, तब तक वे कैडेट रहते हैं, उनके पॉकेट तथा अन्य निजी खर्चों का भार उनके माता-पिता अथवा संरक्षक उठाएंगे. यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 1500.00 रु. से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिए 140 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है. वित्तीय सहायता लेने के इच्छुक उम्मीदवार अपने

चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकता है. जिला मजिस्ट्रेट इस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पास भेज देगा.

टिप्पणी : यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो वह निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है.

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:

1. एफ (पी) कोर्स में प्रवेश के लिए तीन तरीके हैं अर्थात् सीडीएसई/एनसीसी/एयरमैन. वे उम्मीदवार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं उनका वायु सेना चयन बोर्डों में वायु सेना तथा सशस्त्र सेवा की अन्य शाखाओं के लिए केवल एक बार परीक्षण/साक्षात्कार होगा. सामान्य उम्मीदवार जो एनसीसी या एयरमैन के रूप में आईएनएसबी/पीएबी परीक्षण में असफल हो जाते हैं और यदि यह पता चलता है कि उसने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के माध्यम से भी आवेदन किया है तो उन्हें केवल थल सेना/नौसेना/ अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए ओएलक्यू परीक्षण के लिए दुबारा बुलाया जाएगा.

2. प्रशिक्षण पर भेजना:

वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुसंशित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने वाले उम्मीदवारों को वरीयता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है. डाइरेक्ट एंट्री उम्मीदवारों की वरीयता सूची संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाती है और एनसीसी उम्मीदवारों की वरीयता सूची अलग से तैयार की जाती है. डाइरेक्ट एंट्री उड़ान (पायलट) उम्मीदवारों की वरीयता सूची स.लोक.से.आ. द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है. राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके द्वारा वायु सेवा चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है.

3. प्रशिक्षण: वायु सेना अकादमी में उड़ानशाखा (पायलट) के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 74 सप्ताह होगी.

उड़ान प्रशिक्षण के दौरान बीमा सुरक्षा दरें (परिशोधन के अधीन हैं) : वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी दुर्घटना की स्थिति में उस फ्लाइंट कैडेट के निकटतम संबंधी को रु. 800/- प्रतिमाह के मासिक अंशदान के लिए रु. 1,00,000/- रुपए अनुग्रह राशि के रूप में अदा करेगी जो सिविल क्षेत्र से आया हो और उड़ान प्रशिक्षण पा रहा हो. उड़ान प्रशिक्षण पा रहा कोई फ्लाइंट कैडेट यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से अक्षम हो जाता है और प्रशिक्षण मुक्त कर दिया जाता है तो उसे शत-प्रतिशत अक्षमता के लिए 20,000/- रुपए अनुग्रह राशि के रूप में अदा किए जाएंगे तथा यह राशि इस अनुपात में घटकर 20 प्रतिशत रह जाती है. प्रशिक्षण के दौरान, कैडेट रु. 21000/- प्रतिमाह (रु. 15600/-) पे बैंड में और रु. 5400/-ग्रेड पे की नियत वृत्तिका प्राप्त करने के अधिकारी हैं. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात दी जाने वाली वृत्तिका को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा तथापि प्रशिक्षण की अवधि को कमीशंड सेवा नहीं माना जाएगा. सरकार द्वारा फ्लाइंट कैडेट को एक बार वेतन तथा भत्ते स्वीकृत कर लिए जाने पर मृत्यु सुरक्षा 50,000 रुपए होगी और शत-प्रतिशत अक्षमता सुरक्षा 25000 रुपए होगी. वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी द्वारा एक सुरक्षा उड़ान प्रशिक्षण पा रहे प्रत्येक फ्लाइंट कैडेट द्वारा 76/- रुपए के मासिक अप्रतिदेय अंशदान के भुगतान करने पर दी जाएगी जिसके लिए सदस्यता अनिवार्य होगी.

वित्तीय सहायता पर लागू होने वाली शर्तें :

(1) यद्यपि आवास, पुस्तक, वर्दी, ठहराने और चिकित्सा उपचार सहित, प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तो भी उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अपना जेब खर्च स्वयं वहन करें वायु सेना अकादमी में प्रतिमास कम से कम 140/- रुपए (परिशोधन के अधीन) से अधिक खर्च होने की संभावना नहीं है. यदि किसी कैडेट के अभिभावक या संरक्षक उस खर्च को भी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वहन करने में असमर्थ हैं तो उसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, जिस कैडेट के अभिभावक या संरक्षक की मासिक आय 750/- रु. या इससे अधिक है वह वित्तीय सहायता पाने के हकदार नहीं हैं. वित्तीय सहायता के पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्ति तथा अन्य परिलब्धियां और

सभी स्रोतों से होने वाले आय को भी ध्यान में रखा जाता है. वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार को अभिभावक/संरक्षक को अपने पुत्र/बच्चे के वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुन लिए जाने के तुरंत बाद अपना आवेदन अपने जिले के जिलाधीश के माध्यम से प्रस्तुत कर देना चाहिए. जिलाधीश उस आवेदन को अपनी अनुशंसा सहित कमांडेंट, उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स, बेगम्पेट को अग्रेषित कर देगा.

(2) वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवार को आने पर निम्नलिखित रकम (परिशोधन अधीन) कमांडेंट के पास जमा करनी है.

(क) 140 रुपए प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए जेब भत्ता	840 रुपए
(ख) वस्त्र और उपस्कर मदों के लिए	1500 रुपए
	योग 2340 रुपए

उपर्युक्त रकम में से निम्नलिखित रकम कैडेट को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्थिति में वापस देय है.

140 रुपए प्रतिमास की दर से 6 मास के लिए जेब भत्ता 840 रुपए.

4. भविष्य में पदोन्नति की संभावनाएं: प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार फ्लाइंग अफसर के रैंक पर पास आउट होते हैं तथा रैंक के वेतनमान तथा भत्तों के हकदार हो जाते हैं. भारतीय वायु सेना में दो प्रकार की पदोन्नति होती है अर्थात् कार्यकारी रैंक प्रदान करके और स्थायी रैंक प्रदान करके. प्रत्येक उच्च रैंक के लिए अतिरिक्त परिलब्धियां निर्धारित हैं. रिक्तियों की संख्या पर आधारित हर एक को उच्च कार्यकारी रैंक में पदोन्नति प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलते हैं. स्क्वेड्रन लीडर तथा विंग कमांडर के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति उड़ान (पाइलट) शाखा की क्रमशः 10 वर्ष तथा 20 वर्ष की सफलता पूर्वक सेवा पूरी करने पर दी जाती है. विंग कमांडर और उससे ऊपर के उच्चतर पदों में पदोन्नति विधिवत गठित पदोन्नति बोर्डों द्वारा चयन के आधार पर की जाती है. उदीयमान अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर होते हैं.

5. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत :

वार्षिक अवकाश वर्ष में 60 दिन आकस्मिक अवकाश वर्ष में 20 दिन एक बार में अधिकारी पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल 60 दिन तक की यात्रा में होने वाले प्रासंगिक व्यय की पूर्ति हेतु अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के साथ 10 दिनों तक के वार्षिक अवकाश के लिए नकद भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है.

जब भी कोई अधिकारी अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में पहली बार वार्षिक/आकस्मिक अवकाश लेता है, तो वह अपने कार्य करने के स्थान (यूनिट) से गृह नगर तक और वापस अपने कार्य करने के स्थान तक आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा चाहे उसके अवकाश की अवधि कुछ भी क्यों न हो, और तत्पश्चात प्रत्येक दूसरे वर्ष बिना किसी दूरी पर प्रतिबंध के गृह नगर के बदले में भारत में किसी भी स्थान के लिए या चयन किए गए निवास स्थान के लिए. इसके अतिरिक्त उड़ान शाखा के अधिकारियों को, जो प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित उड़ान ड्यूटी पर तैनात होते हैं, अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर आने और जाने दोनों ओर की 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए रेल द्वारा उपर्युक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी. जो अधिकारी छुट्टी लेकर अपने खर्च से यात्रा करने के इच्छुक हैं वे कलेक्टर वर्ष में 6 एक तरफ यात्रा फार्म डी पर पत्नी तथा बच्चों के साथ पात्र श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी द्वारा यात्रा करके किराए का 60 प्रतिशत भुगतान करके यात्रा करने के हकदार होंगे. इसमें दो उक्त फार्म डी पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जाएगी. परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहन और नाबालिग भाई शामिल होंगे.

6. पेंशन लाभ:

सेवा निवृत्ति पेंशन: सेवा निवृत्ति पेंशन के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा की कम से कम अवधि 20 वर्ष है. (लाभ के बिना) सेवा निवृत्ति पेंशन अधिकारी द्वारा उसकी सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान प्राप्त (वेतन, रैंक वेतन और प्रेक्टिस निषेध भत्ता, यदि कोई हो) की गई उन परिलब्धियों की औसत के 50 प्रतिशत के हिसाब से परिकल्पित की जाएगी, जो पेंशन के मामले में संगणनीय है, या 50 प्रतिशत अंतिम वेतन भुगतान जो भी अधिक

(क्रमशः)

(पृष्ठ 45 का शेष)

लाभकारी हो. सेवा निवृत्ति पेंशन किसी भी परिस्थिति में में 3500/-प्रतिमाह से कम नहीं होगी.

7. सेवानिवृत्ति उपदान:

सेवा निवृत्ति उपदान : सेवा निवृत्ति के लिए अर्हक सेवा की कम से कम अवधि (लाभ के बिना) 10 वर्ष है, सेवा निवृत्ति उपदान अर्हक सेवा की प्रत्येक छह महीने की अवधि पूरी करने पर आधे महीने की परिलब्धियों की एक समान दर के हिसाब से स्वीकार्य होगी. इस प्रयोजन के लिए परिलब्धियों में अधिकारी द्वारा लिया गया अंतिम वेतन, रैंक वेतन, महंगाई भत्ता और प्रेक्टिस बन्दी भत्ता (यदि कोई हो), प्रगतिरोध/वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ता (सेवा निवृत्ति/अशक्ता/मृत्यु की तिथि पर देय) शामिल होगा.

8. मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान :

पेंशन या उपदान के अतिरिक्त, प्रत्येक छः महीने के अविध की अर्हक सेवा के लिए तथा 5 वर्ष का लाभ परिलब्धियों के चौथाई के बराबर मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान देय है, जो कि परिलब्धियों का 16^{1/2} गुणा होगा और 10.00 लाख रुपए से अधिक न होगा.

9. सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर मृत्यु और निवृत्ति उपदान इस प्रकार से होंगे:

(क) सेवा के पहले वर्ष यदि मृत्यु हो जाए तो दो महीने का वेतन

(ख) पहले वर्ष की सेवा के बाद किंतु पांच वर्ष की सेवा से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो छः महीने का वेतन.

(ग) पांच वर्ष की सेवा के बाद किंतु 20 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो कम से कम 12 महीने का वेतन.

(घ) यदि मृत्यु बीस वर्ष या उसके बाद होती है तो सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने का वेतन, जो कि कम से कम 12 माह के वेतन एवं अधिक से अधिक 33 माह के वेतन के बराबर होगा, परंतु किसी मामले पर भी मृत्यु और निवृत्ति उपदान की राशि 10.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी. विकलांगता पेंशन और विशेष परिवार पेंशन जिसमें बच्चों और आश्रितों (माता-पिता, बहन तथा भाई) को पेंशन देना भी शामिल है, निर्धारित नियमों के अनुसार भी देय है.

10. अन्य सुविधाएं :

अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती किराए पर आवास, ग्रुप बीमा योजना, ग्रुप-आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाएं आदि के हकदार हैं.

(घ) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नै में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए:

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नै में भर्ती हो:

(क) उसे उस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली-भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार से मुआवजा या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए ऑपरेशन या ऑपरेशन के दौरान मूर्च्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए.

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने के पूर्व वापस जाना चाहै या यदि दिए जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो शिक्षा, खाना, वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए हैं, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निश्चित करे, चुकाने के जिम्मेदार होंगे.

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 11 महीने का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा. उन उम्मीदवारों को 'सेना अधिनियम' के अंतर्गत जैटलमैन/महिला कैडेट के रूप में नामांकित किया जाएगा. सामान्य अनुशासन की दृष्टि से जैटलमैन कैडेट अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत रहेंगे.

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा, शामिल है सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा. जिसके कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम रु. 200 प्रतिमास से अधिक होने की संभावना नहीं है. किंतु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, शिकार खेलना,

सैरसपाटा इत्यादि का शौक रखता हो तो उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी. यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप से वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है. बशर्त कि कैडेट और उसके माता-पिता/अभिभावक की आय रु. 1500/- प्रतिमास से कम हो. जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन पत्र जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र को कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नै को भेज देगा.

4. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने गए उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के लिए निम्नलिखित धन राशि जमा करनी होगी.

(क) रु. 1000/-प्रतिमाह की रु. 3000/- दर से तीन महीने के लिए जेब खर्च भत्ता

(ख) वस्त्र तथा उपस्करणों की रु. 5000/- मदों के लिए

(ग) 2 माह के लिए समूह बीमा रु. 2000/- राशि (एजीआईएफ)

कुल 10000/-

यदि कैडेटों की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युक्त राशि में से (ख) के सामने दी गई राशि वापस कर दी जाएगी.

5. समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत परिधान भत्ता मिलेगा.

कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी. यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग-पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओं को उससे वापिस ले लिया जाएगा, इन वस्तुओं को सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा.

6. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले जैटलमैन कैडेट का थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है. प्रस्थान से पूर्व उनसे प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किया जाएगा. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय का एक बांड भरना होगा.

7. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेने के बाद उम्मीदवारों को अकादमी से त्यागपत्र दिए बिना और प्रशिक्षण के खर्च का भुगतान किए बिना सशस्त्र सेना, नौ-सेना और वायु सेना अथवा किसी अन्य रोजगार में प्रवेश/आयोग की किसी प्रकार की परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. किंतु उन जैटलमैन कैडेटों से, जो चयन हो जाने के बाद नौ सेना और वायु सेना में कौरसपोइंग कैडेट प्रशिक्षण संगठनों अथवा भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नै से त्याग पत्र देंगे उनसे मेस के खर्च सहित प्रशिक्षण का कोई खर्च वसूल नहीं किया जाएगा.

8. जिस जैटलमैन/महिला कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रशिक्षण अवधि की लागत अदा करने के बाद सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है. इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को उनकी रजिमेंट कोर में वापिस भेज दिया जाएगा.

9. प्रशिक्षण:

चुने गए उम्मीदवारों को जैटलमैन कैडेटों/महिला कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के उपरांत जैटलमैन कैडेटों/महिला कैडेटों को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है.

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नै में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी कैडेटों को मद्रास विश्वविद्यालय रक्षा प्रबंधन और सामरिक अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान करेगा.

10. सेवा की शर्तें:**(क) परिवीक्षा की अवधि**

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अधिकारी 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा. यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर वापस किए जाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे.

(ख) तैनाती :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर समय-समय पर आई.एच.क्यू./एम.ओ.डी. द्वारा यथा निर्धारित चुनिंदा नियुक्तियों पर उन्हें भारत या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है.

(ग) नियुक्ति की अवधि तथा पदोन्नति:

अल्पकालिक सेवा कमीशन (पुरुष एवं महिला) 14 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा. अर्थात् प्रारंभ में 10 वर्ष जो 4 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा. नियमित थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा. जो पुरुष अधिकारी सेना में दस वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे, यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए तो संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष में उनको स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा. वे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो कमीशन पूर्व अनुदान के लिए चयनित नहीं हुए हैं लेकिन वे अन्यथा योग्य एवं उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें 14 वर्षों की कुल अवधि के लिए (10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित) अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा, इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेवा निर्मुक्त किया जाएगा. महिला अधिकारी स्थायी कमीशन के पात्र नहीं हैं, तथापि वे 14 वर्ष की अवधि तक वृद्धि के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं.

(घ) सेवा का पांचवां वर्ष पूरा होने पर अल्पकालिक कमीशन प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान: वे अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी जिन्होंने डिग्री इंजीनियरी कोर्स अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स नहीं किया हो अथवा न ही कर रहे हों, जो पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सेवा के 5वें वर्ष में सेना मुख्यालय को सेवा छोड़ने हेतु आवेदन करना होगा. तत्पश्चात सेना मुख्यालय योग्यता के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और इस संबंध में सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा. अनुमोदन उपरांत इन अधिकारियों को सेवा के पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा. लेकिन वे अल्प सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी, जो डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसा ही कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स कर रहे हैं, वे 14 वर्ष की पूरी अवधि समाप्त होने के पहले तब तक कमीशन नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनसे ऐसे कोर्स करने की यथा निर्धारित लागत वसूल नहीं कर ली जाती. उन्हें डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसे अन्य विशेषज्ञ कोर्सों के लिए नामांकित होने पर इस आशय का एक बॉण्ड भरना होगा.

(ड.) बढ़ाई गई अवधि के लिए विशेष प्रावधान:

बढ़ाई गई अवधि के दौरान उन्हें निम्नलिखित आधारों पर सेना से सेवामुक्त होने की अनुमति दी जाएगी:

(i) सिविल पद प्राप्त करने पर

(ii) उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर

(iii) अपना व्यवसाय आरंभ करने पर/ फैमिली व्यवसाय अपनाने पर

(च) स्थायी पदोन्नति : अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा इन नियमों के तहत अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी निम्न प्रकार से स्थायी पदोन्नति के पात्र होंगे.

(i) दो वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर कैप्टन के रैंक में.

(ii) छः वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर मेजर के रैंक में

(iii) तेरह वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में.

(छ) अनिवार्य शर्तें: स्थायी कमीशन प्राप्त

अधिकारियों के लिए निर्धारित उपर्युक्त वास्तविक रैंक प्रदान करने हेतु अनिवार्य शर्तें तथा साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यथा स्वीकार्य पदोन्नति परीक्षा भाग ख तथा घ हेतु पात्रता, समय सीमा और शक्तियां अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अधिकारियों तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिलाओं पर भी लागू होंगी.

(ज) वरिष्ठता का समायोजन : एसएससी पुरुष अधिकारियों तथा एनएससी महिला अधिकारियों और साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अल्पावधि प्रशिक्षण को समायोजित करने के लिए एसएससी पुरुष व महिला अधिकारियों की वरिष्ठता के लिए, विचाराधीन एसएससी कोर्स तथा इसके समतुल्य स्थायी कमीशन कोर्स की प्रशिक्षण अवधि के बीच के अंतर की कोरसपोइंग अवधि द्वारा कम कर दिया जाएगा. इस वरिष्ठता के समायोजन को कैप्टन का पहला वास्तविक रैंक प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा. संशोधित, वरिष्ठता क्रम में कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में दिए जाने वाले वेतन और भत्ते प्रभावित नहीं होंगे.

(झ) संगणित कमीशन प्राप्त सेवा: उपर्युक्त पैरा 10(ज) के उपबंधों के अध्याधीन इन आदेशों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए गणना कमीशन सेवा अधिकारी को अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करने की तारीख से की जाएगी. कोर्ट मार्शल होने पर सेवा अवधि जब्त होने या सेना अधिनियम के अंतर्गत सम्मरी अवाई मिलने पर तथा बिना अनुमति अवकाश पर रहने की अवधि को नहीं गिना जाएगा. वह अवधि जिसके दौरान छुट्टी की दरों का वेतन दिया गया तथा वह अवधि जिसके दौरान पीओडब्ल्यू दरों पर वेतन दिया गया, को गिना जाएगा. किसी महिला अधिकारी को बिना वेतन के प्रदान किए जाने वाले अवकाश को भी पदोन्नति की सेवा अवधि के लिए गिना जाएगा. तथापि, उच्चतर वास्तविक रैंक के लिए स्वीकार्य वेतन तथा भत्तों की पात्रता के लिए सेवा अवधि को अधिकारी द्वारा सेवा में अर्हता प्राप्त करने की तारीख से गिना जाएगा बशर्त कि इस पहले इस तरह से तथा वास्तविक रैंक प्रदान करने की तारीख से न गिना गया हो.

(ञ) छुट्टी :

छुट्टी के संबंध में ये अधिकारी अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खंड-I थल सेना के अध्याय पांच में उल्लेखित हैं, वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के पारसिंग आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व नियम 69 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार शासित होंगे. एसएससी महिला अधिकारी एस.ए.एल I/एस/92-एस के अनुसार प्रसूति अवकाश के लिए पात्र होगा.

(ट) कमीशन की समाप्ति :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को पांच वर्ष की सेवा करनी होगी किंतु भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त कर सकती है.

(i) उपचार करने या संतोषजनक रूप से सेवा न करने पर, या

(ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर, या

(iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या

(iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षा या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर तीन महीने के नोटिस देने पर किसी अफसर को करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्यागपत्र देने की अनुमति दी जा सकती है. किंतु इसकी पूर्णतः निर्णायक भारत सरकार होगी. करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्यागपत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा.

(ठ) सेवांत उपदान:

सिविल पक्ष से भर्ती किए गए एसएससीओ सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए 1/2 माह की परिलब्धियों की दर से सेवांत उपदान के हकदार होंगे.

(ड) रिजर्व के रहने का दायित्व : 5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा पूर्ण करने के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए या 40 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे.

(ढ) विविध : सेवा संबंधी अन्य सभी शर्तें जब तक उनका उपयुक्त उपबंधों के साथ भेद नहीं होता है वहीं होगी जो नियमित अफसरों के लिए लागू हैं.

डीएवीपी 55104/14/0037/1213 रो.स. 32/1